



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग - मध्य प्रदेश शासन हेतु शिशु रोग विशेषज्ञ के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक

05/2024/ 24.07.2024

ऑनलाइन आवेदन करने की

अंतिम तिथि 12.09.2024

आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-

पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20.09.2024

महत्वपूर्ण निर्देश

A. आवेदन पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग हेतु शिशु रोग विशेषज्ञ के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे आवेदन पत्र दिनांक 13.08.2024 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 12.09.2024 (दोपहर 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in तथा www.mppsc.mp.gov.in पर भरे जा सकते हैं।
3. शिशु रोग विशेषज्ञ के पदों हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

B. आयु की गणना :-

1. आयु की गणना 01 जनवरी 2025 के संदर्भ में की जाएगी।
2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10 वीं (High School) की अंक-सूची में अंकित है। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

C. शुल्क संबंधी निर्देश :-

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट / डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट - 03 का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश / आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 16.08.2024 से 14.09.2024 (दोपहर 12:00 बजे तक) तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र ₹50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदनकर्ता की रहेगी।
2. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अतः वे ऑनलाइन आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
3. त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-03) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी / वर्ग (अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) / लिंग (महिला / पुरुष) / दिव्यांगता / शासकीय सेवक / जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। श्रेणी / वर्ग / जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के

अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

E. पाठ्यक्रम :-

1. **अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता**
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा / सी.पी.एस डिप्लोमा अथवा समतुल्य अर्हता अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में सुपर स्पेशलिटी डिग्री/डिप्लोमा
वांछनीय अर्हता :-
मध्यप्रदेश चिकित्सा परिषद् में स्थायी पंजीयन अनिवार्य
2. **रोज़गार पंजीयन -**
(क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
(ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। (दिनांक 20.09.2024 या उसके पूर्व जारी)
(ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/ निगम/ मण्डल/ उपक्रम/ आयोग/ बोर्ड/विश्वविद्यालय/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता / अनुभव / वांछनीय अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे उस विभाग को अपनी शिकायत प्रेषित कर सकते हैं।
4. उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 12.09.2024 तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।

F. परीक्षा नियम / निर्देश आदि :-

1. चयन / परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन / निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों / निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
2. चयन / परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोजगार पंजीयन आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि / लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची / प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
4. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य / दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25181/2019 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अधीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा / चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।

G. अन्य निर्देश :-

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएँ, संशोधन आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अतः समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त ई-मेल / पत्राचार / दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
2. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन के निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	LD	VH	HH	MD
1	शिशु रोग विशेषज्ञ	42	20	40	34	23	159	15	7	14	12	8	3	2	3	2
टीप -	अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के संदर्भ में प्रचलित याचिका के अनुक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./ एक दिनांक 29.09.2022 द्वारा चयन परिणाम मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13 % के आधार पर जारी किया जाना है। इस संदर्भ में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा यह अवगत कराया गया है कि चिकित्सा अधिकारियों के पदों हेतु मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13 % का पद विभाजन निम्नानुसार रहेगा :-															
मुख्य भाग 87% (14% ओ.बी.सी. पदों) के आधार पर रिक्ति विवरण		42	20	40	18	23	143	15	7	14	6	8	3	2	3	2
प्रावधिक भाग 13% (ओ.बी.सी. पदों) के आधार पर रिक्ति विवरण		16 (कान्पनिक)	--	--	16	--	16	6 (कान्पनिक)	--	--	6	--	--	--	--	--

Abbreviations UR - Unreserved, SC- Scheduled Caste, ST- Scheduled Tribe, OBC- Other Backward Classes, EWS - Economically Weaker Section LD- Locomoter Disability, VH -Visual Handicapped, HH - Hearing Handicapped, MD- Multiple Disability

- टीप -
1. प्रावधिक भाग 13% हेतु अभ्यर्थी साक्षात्कार में प्रावधिक रूप से सम्मिलित होंगे एवं माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने के उपरांत वह अपने संबंधित वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित) में रोके गए 13 प्रतिशत पद के विरुद्ध ही चयनित होंगे न की पूर्व घोषित हो चुके 87 प्रतिशत पद के विरुद्ध।
 2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु वर्ष 2024-2025 का जीवित प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

दो पद का विवरण

01	पद का नाम	:	शिशु रोग विशेषज्ञ
	विभाग का नाम	:	लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
	श्रेणी	:	राजपत्रित (प्रथम श्रेणी)
	पद स्थिति	:	अस्थायी
	वेतनमान	:	रुपये 15600-39100+6600 ग्रेड पे (छठे वेतन आयोग अनुसार)। सातवें वेतनमान में तत्स्थानी वेतनमान प्राप्त होंगे।
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	मरीजों की देखभाल एवं उपचार

तीन शैक्षणिक अर्हता :

अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा / सी.पी.एस डिप्लोमा अथवा समतुल्य अर्हता

अथवा

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री

अथवा

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में सुपर स्पेशलिटी डिग्री/डिप्लोमा

वांछनीय अर्हता :-

मध्यप्रदेश चिकित्सा परिषद् में स्थायी पंजीयन अनिवार्य

विशेष:

(1) उक्त समस्त अर्हताएं (शैक्षणिक अर्हता, रोजगार पंजीयन, निवासी एवं जाति प्रमाण पत्र,

- 10- विलंब से प्राप्त आवेदन-पत्र निरस्त किए जाएंगे तथा जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अतः आवेदक अंतिम तिथि की प्रतीक्षा करने के बजाय पर्याप्त समय पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र आयोग को प्रेषित करें।
- 11- आवेदक यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

2- आवेदन शुल्क

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
₹. 1000/-	₹.2000/-
उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त ₹. 40/- (जीएसटी सहित) पोर्टल शुल्क देय होगा	
- परीक्षा की स्थिति में परीक्षा शुल्क का भुगतान पृथक से करना होगा - शुल्क वापसी:- अपरिहार्य कारणों से विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन शुल्क वापसी आवेदन प्राप्त कर आवेदन शुल्क की राशि वापस की जाएगी किन्तु पोर्टल शुल्क की राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी।	

आवेदन शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य किसी राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो mponline से निम्न दूरभाष पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं :-

हेल्पलाइन - 0755-6720200

नोट : यदि आपको ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए दूरभाष नंबरों पर संपर्क करें :-

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर (0731) 2701624, 2701983

एम.पी.ऑनलाइन लिमिटेड, (मध्य प्रदेश शासन तथा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का संयुक्त उपक्रम)

ऑफिस ब्लाक OB-14 से 17, चतुर्थ तल, डी.बी. सिटी कार्पोरेट पार्क,

अरेरा हिल्स, ज़ोन-1 के सामने, एम. पी. नगर,

भोपाल-462011 हेल्पलाइन - 0755-6720200

3- आवेदन की अंतिम तिथि

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 12.09.2024 है। अंतिम तिथि को दोपहर 12:00 बजे के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

4- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की छायाप्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें:-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/ हायर सेकेण्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंक-सूची/ प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

रोजगार कार्यालय में पंजीयन का प्रमाण-पत्र :- जिस श्रेणी के अभ्यर्थियों को जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, वे उपलब्ध होने पर संलग्न करें।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :- जिला चिकित्सा मण्डल या उच्चतर प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करें जिसमें 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता प्रमाणित की गई हो। चिकित्सा अधिकारी के पदों हेतु 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन ही आरक्षण तथा छूटों हेतु पात्र हैं।